सं0-851/62-2-2014-2/3(9)/2013

प्रेषक,

रवि प्रकाश अरोडा,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 31 मार्च,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-01-2014 के पश्चात निर्गत धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास में साख-सीमा जारी किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-369/ल0सिं0/बजट-सीसीएल/2013-14, दिनांक 25-3-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-359/26-ब0प्र0-2014-2/3(69)/2013, दिनांक 25-3-2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 के लेखा शीर्षक-2702-लघुं सिंचाई-आयोजनागत-80'सामान्य-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना'04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता(नि:शुल्क बोरिंग)'20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0-10:00 लाख (दस लाख मात्र) के सापेक्ष सी0सी0एल0 वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में जारी करने की अनुमति वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-46/दस-2000, दिनांक 21-02-2000 के प्रस्तर-2(4) के क्रम मे निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-02-2000 की शेष शर्ते तथा प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) सी0सी0एल0 का अन्तरण डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) में किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(3) जिस प्रयोजन के लिये सी0सी0एल0 जारी की जायेगी उसी मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी।

(4) सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर किसी बैक/डाकघर खाता, डिपाजिट खाता आदि में नही जमा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत साख-सीमा की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होगी।

(6) प्रश्नगत साख सीमा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जायेगा।

(7) विभाग यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक दशा में सी0सी0एल0 इस प्रकार निर्गत की जाय कि कोषागारों की ई-पैमेन्ट व्यवस्था के कारण राजकीय लेनदेन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(8) विभाग यह भी सुनिश्चित करगें कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्गत की गयी है।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आदर्श आचार संहिता का उल्लधंन न होने पाये अर्थात किसी नए लाभार्थी का चयन न किया जाय तथा कोई नया कार्य न आरम्भ किया जाय।

(10) प्रश्नगत धनराशि का व्यय दिनांक 05-3-2014 तक आरम्भ हो गये कार्यो पर ही किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या-ए-2-99/दस-2014, दिनांक 30-3-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/

(रवि प्रकाश अरोडा)

सचिव।

<u>सं0-851(1)/62-2-2014, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली ।

4- निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त लेखा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in